

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सिधारीअवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तारगिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.05.2023 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर जाफरपुर पावर हाऊस के पा से अभियुक्त आमिर पुत्र मैनुद्दीन सा0 गुलामी का पुरा चौक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 20.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 209/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 209/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

नाम पता अभियुक्तगण

आमिर पुत्र मैनुद्दीन सा0 गुलामी का पुरा चौक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 61/15 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 119/15 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

3. मु0अ0सं0- 209/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 अवधेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

कां0 विक्की कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

कां0 सिद्धार्थ गौड़ थाना सिधारी आजमगढ़

थाना गम्भीरपुरनाबालिक को बहला-फुसलाकर कर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - दिनांक 27.02.2023 को वादी गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया कि अभियुक्त मो. साहिल पुत्र मो.

इमरान निवासी अमौड़ा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा मेरे नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 65/2023 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 26.05.2023 को उ.नि. विजय नारायण पाण्डेय मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान कर मुकदमा उपरोक्त की अपहृता व अभियुक्त शाहिल पुत्र इमरान निवासी अमौड़ा गोसाईं बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ की तलाश में सुरागरसी व पतारसी करता हुआ मुहम्मदपुर बाजार में मौजूद था की जरिये मुखविर खास सूचना मिली की अपहृता व अभियुक्त मुहम्मदपुर चौराहे पर कही जाने की फिराक में खड़े है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त अनाम शाहिल पुत्र मुहम्मद इमरान निवासी ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त

अनाम शाहिल पुत्र मुहम्मद इमरान निवासी ग्राम अमौडा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष
पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 65/23 धारा 363/366 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
आपराधिक इतिहास

मु.अ.स. 65/23 धारा 363/366 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम.....

उ.नि. विजय नराणय पाण्डेय थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

म.का. शीलू यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना कोतवाली

➡ कल दिनांक 25.05.2023 को थाना कोतवाली पर मु.अ.स. 258/23 धारा 419/420/467/468/386 भादवि वादिनी श्रीमती शबाना परवीन की तहरीर पर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनुसार वादिनी की जमीन के संबंध में सलमान पुत्र अब्दुल हमीद, हिना पत्नी सलमान व आरिफ पुत्र मो. हाकिम के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है।

➡ मोहम्मद आरिफ जो थाना क्षेत्र सरायमीर का रहने वाला है और माफिया अपराधी अबू सलेम का सगा भतीजा है इसके विरुद्ध वादी पक्ष को डरा धमकाकर रंगदारी वसूलने, समझौता करने के लिए दबाव बनाने एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

➡ अभियुक्त सलमान और इसकी पत्नी हिना को आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तीसरे अभियुक्त मुहम्मद आरिफ को पुलिस टीम के द्वारा हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके आपराधिक इतिहास व गतिविधियों के बारे में जानकारी की जा रही है।

थाना- रानी की सराय

आत्मा हत्या के लिए दुस्प्रेण करने वाले 03 अभियुक्त

पूर्व की घटना:-

➡ दिनांक 26.05.2023 को आवेदिका श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व0 रामजन्म गौड़ नि0 कोईलारी बुजुर्ग थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया दिनांक 23.05.2023 को अभियुक्तगणों द्वारा प्रार्थिनी को गाली गलौज देते हुए मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दिया गया था।

➡ जिससे आवेदिका के पति को काफी गहरा मानसिक अघात लगा अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की घटना से दुखी होकर दिनांक 25.05.2023 को आवेदिका के पति रामजनम गौड़ ने फासी लगाकर आत्म हत्या कर लिया गया।

➡ इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 170/2023 धारा 306 भादवि बनाम (1)केदार गिरी पुत्र शिवधनी (2) संदीप गिरी पुत्र लालचन्द्र सा0 आवंक मढिया थाना रानी की सराय आजमगढ़ (3) हेन्द्र पुत्र सतरू यादव सा0 टेकमलपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 26.05.2023 को उपनिरीक्षक विजय प्रताप सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली की उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण 1.केदार गिरी पुत्र स्व0 शिवधनी गिरी 2.संदीप गिरी पुत्र लालचन्द गिरी साकिनान आवंक मठिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ 3.हरेन्द्र यादव पुत्र सतरू यादव सा0 टेकमलपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ कोटिला बाजार मे मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह के साथ मौके पर पहुंचकर कोटिला यूनियन बैंक के पास खड़े 03 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम केदार गिरी पुत्र स्व0शिवधनी गिरी, संदीप गिरी पुत्र लालचन्द गिरी नि0गण ग्राम आवंक मठिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ तथा हरेन्द्र यादव पुत्र सतरू यादव सा0 टेकमलपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया, जिसको समय करीब 11.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 170/2023 धारा 306 भादवि थाना रानी की सराय

अपराधिक इतिहास

(1) मु0अ0स0 165/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

(1)केदार गिरी पुत्र स्व0शिवधनी गिरी

(2) संदीप गिरी पुत्र लालचन्द गिरी नि0गण ग्राम आवंक मठिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3) हरेन्द्र यादव पुत्र सतरू यादव सा0 टेकमलपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1)उ0नि0 विजय प्रताप सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2)हे0का0 कमलेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3)का0 संदीप कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना -मेहनाजपुर

जनसेवा केन्द्र में चोरी का 24 घंटे में अनावरण, 2 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दि0 25.05.2023 को आवेदक विपिन सिंह S/O राजेश सिंह ग्राम हिलालपुर थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि बाजार सिधौना मे बेला रोड पर जनसेवा चलाता हूँ। जब सुबह समय 6 AM दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टुटा हुआ था दुकान के अन्दर देखा गया तो समान इधर उधर बिखरा हुआ था जिसमे लैपटाप, प्रिन्टर, आधार फिंगर डिवाइस, ATM स्वैपर, लैपटाप फैन लेमिनेटर व काउण्टर से 11,000 रू गायब था।

जिसके सम्बन्ध में वादी के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 113/2023 धारा 457/380 भादवि थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी विवरण:-

आज दिनांक 26.05.23 को SSI मोतीलाल पटेल मय हमराह क्षेत्र मे रामनगर में मौजूदगी के दौरान मुखबिर द्वारा बताया कि दो लडके मोटर साईकिल से ईटैली बाजार से सिधौना की तरफ आ रहे हैं जिसमे एक ओमकार सिंह S/O शिवसकल सिंह R/O बेला है जिसने जन सेवा केन्द्र में चोरी किया था।

इस सूचना पर विश्वास करके चेकिंग की जाने लगी तभी सामने से आ रहे मोटरसाईकिल सवार के नजदीक आने पर रोका गया तो मोटर साईकिल सवार पीछे मुडकर भागना चाहा लेकिन फिसल कर गिर गया। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाईकिल सवार दोनो लडको को पकडा गया।

जिनकी पहचान ओमकार सिंह पुत्र शिवसकल सिंह R/O बेला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ दूसरे की पहचान जितेन्द्र गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता R/O लालमऊ थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ के रूप में हुयी। जिनके पास से एक लैपटाप , लैपटाप फैन एक माउस व 4800/. रुपये नगद बरामद हुआ मुकदमे से सम्बन्धित बरामदगी की गई।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 113/23 धारा 357,480,411 भा0द0वि0

अपराधिक इतिहास :-

मु0अ0स0 113/23 धारा 357,480,411 भा0द0वि0

विवरण बरामदगी

एक लैपटाप ,

लैपटाप फैन

एक माउस

4800/. रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्त

जितेन्द्र गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता R/O लालमऊ थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

ओमकार सिंह पुत्र शिव शकल सिंह ग्राम बेला थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01.व0उ0नि0 रमेश सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

02. उ0नि0 श्यामबदन यादव थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़

03. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़

04.का0 अवदेश यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 460 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज।

दिनांक- 26.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 84 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1851 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 460 वाहनों का चालान तथा थाना मेहनाजपुर व थाना महाराजगंज से 01-01 वाहनो को सीज किया गया।